रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2009/आषाढ़ 4, 1931

No. 370] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2009/ASADHA 4, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2009

सा.का.नि. 446(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उप-धारा (1) के खंड (छझ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (विशेषज्ञों या वृत्तिक सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव) नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (विशेषज्ञों या वृत्तिक सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (विशेषज्ञों या वृत्तिक सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव) नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में,—

(क) उप-नियम (1) के खंड (क) की मद (v) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी अर्थात् :—

"(v) उसके पास विश्वविद्यालय की कोई डिग्री है और उसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त अकादमी में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो या;

(vi) भारत सरकार से बाहर व्याघ्र संरक्षण में और उससे संबंधित मुद्दों में लंबा अनुभव हो; और";

(ख) उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों से उपाबद्ध सारणियों और परिशिष्ट का लोप किया जाएगा ।

[सं. एफ. 9-1/2004-पीई]

डॉ. राजेश गोपाल, वन महानिरीक्षक एवं सदस्य-सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 662(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2009

G.S.R. 446(E).—In exercise of the powers conferred by clause (gi) of sub-section (1) of Section 63 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Tiger Conservation Authority (Qualifications and Experience of Experts or Professional Members) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the National Tiger Conservation Authority (Qualifications and Experience of Experts or Professional Members) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Tiger Conservation Authority (Qualifications and Experience of Experts or Professional Members) Rules, 2006, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3,—

(A) in sub-rule (1), in clause (a), for item (v), the following items shall be substituted, namely :—

"(v) having a University degree and successfully completed the training in an academy established or recognised by the Department of Personnel and Training; or

(vi) long standing experience in tiger conservation and related issues outside the Government; and";

(B) sub-rule (3) shall be omitted.

3. The Tables and Appendix annexed to the said rules shall be omitted

[No. F. 9-1/2004-PE]

Dr. RAJESH GOPAL, Inspector General of Forests and Member-Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number G.S.R. 662(E), dated the 25th October, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.